बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 12 अंक 261

जीएसटी पर प्रतिक्रिया

अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था की निगरानी करने वाली वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की 38वीं बैठक बुधवार को हुई। परंतु यह बैठक अन्य बैठकों से अलग थी।

इस परिषद में राज्यों और केंद्र के वित्त मंत्री शामिल हैं और अब तक परिषद की बैठक में सर्वस्वीकृति की परंपरा थी जहां किसी भी बदलाव पर सभी सहमत होते थे। पहली बार, यहां मतदान के जरिये लॉटरी पर लगने वाली कर दर को बढ़ाकर 28 प्रतिशत किया गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि केरल सरकार ने इस प्रस्ताव का विरोध जारी रखा।

संभव है कि कोई अन्य विकल्प नहीं रहा हो लेकिन यह भविष्य के लिए अच्छा संकेत नहीं है। निश्चित तौर पर जीएसटी में दिक्कतें नजर आ रही हैं। राज्य भी जीएसटी से मिलने वाली क्षतिपूर्ति को लेकर काफी चिंतित हैं क्योंकि वह समय पर नहीं मिल रही है।

इससे उनकी वित्तीय स्थिति पर दबाव उत्पन्न हुआ है। इसके बावजूद जीएसटी का प्रदर्शन कमजोर बना हुआ है। यह बात इस वक्त इसलिए भी महत्त्वपूर्ण है क्योंकि कॉर्पोरेट आय कर में कमी आई है और कॉर्पोरेशन कर अक्टूबर से दिसंबर 2019 में पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 5 फीसदी तक कम हुआ है। व्यक्तिगत आय कर में पर्याप्त वृद्धि नजर नहीं आ रही है ताकि इसकी भरपाई हो सके।

इससे यह संकेत निकलता है कि इसके लिए मंदी भी आंशिक तौर पर उत्तरदायी है। ऐसे में कम जीएसटी संग्रह राजकोषीय संकट पैदा कर रहा है।

वित्त मंत्रालय ने जीएसटी संग्रह के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपये मासिक का लक्ष्य तय किया था। चालू वर्ष के पहले महीने को छोड़ दिया जाए तो अब तक इतनी राशि एकत्रित नहीं हो सकी। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि व्यापक कर वंचना और इनपुट टैक्स क्रेडिट के मामलों में धोखाधड़ी की धारणा जोर पकड़ रही है।

इस मसले को हल करने के लिए तमाम उपाय किए जा रहे हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट के क्षेत्र में हो रहे नुकसान को रोकने के लिए कई तरीके भी प्रस्तावित हैं। मिसाल के तौर एक सुझाव यह है कि इनवॉइस अपलोड होने के पहले मुहैया कराई जाने वाली राशि को मौजूदा 20 फीसदी से घटाकर 10 फीसदी करने की बात। परंतु सरकार को कर वंचना से निपटने को लेकर सावधानी बरतनी होगी। आमतौर पर कर अधिकारियों को लक्ष्य देना और उन लक्ष्यों को हासिल करने के अधिकार देना देश में अनुत्पादक साबित हुआ है।

फिलहाल विचार है कि देर से फाइलिंग करने वालों को जुर्माने से राहत देकर देखा जाए। इसके अलावा समयसीमा में इजाफा भी किया जा सकता है। परंतु ऐसा लगता है कि कड़े उपायों पर भी सहमति बन रही है। इसमें जुर्माना बढ़ाना और कर अधिकारियों को अधिक अधिकार सौंपना शामिल है।

स्वाभाविक है कि नीतिगत बदलाव में लोगों को गिरफ्तार करने की बात भी शामिल की जा रही है। बहरहाल, सरकार को समग्रता से विचार करके ही निर्णय लेना चाहिए।

जीएसटी की सफलता इस बात पर निर्भर है कि कर मामलों में लोग स्वैच्छिक हिस्सेदारी करें। ज्यादा कड़ी कार्रवाई करने से मासूम और दोषी दोनों चपेट में आएंगे और ऐसे वक्त में देश का कारोबारी रुझान कमजोर होगा जब कारोबारी भावनाओं को जीवंत बनाना अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।

जरूरत यह है कि जीएसटी ढांचे पर समग्र दृष्टि डाली जाए। देखा जाए कि क्या इसे आसान बनाकर अनुपालन बढ़ाया जा सकता है? परिषद को कर और विशिष्ट दरों को लेकर भी व्यापक दिशा स्पष्ट करनी चाहिए।

अजय मोहंती

वृद्धि दर बढ़ाने के लिए निर्यात प्रोत्साहन जरूरी

सुस्ती के दौर से गुजर रही भारतीय अर्थव्यवस्था को तीव्र वृद्धि की राह पर लाने के लिए निर्यात स्थिरता का दौर खत्म करना होगा। इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं **शंकर आचार्य**

भारतीय अर्थव्यवस्था एक गहरी एवं व्यापक होती सुस्ती के बीच में है। आर्थिक वृद्धि दर लगातार छह तिमाहियों से गिरते हुए सितंबर तिमाही में 4.5 फीसदी पर आ चुकी है और हालात जल्द सुधरने की गुंजाइश भी नहीं दिख रही है। इस बात पर मीडिया एवं अन्य क्षेत्रों में काफी चर्चा हो रही है कि कुल मांग के उपभोग और निवेश जैसे मुख्य अवयवों में कैसे तेजी लाई जाए और क्या मुश्किल राजकोषीय स्थिति में सरकारी व्यय बढ़ाने की गुंजाइश बाकी है? आश्चर्यजनक ढंग से निर्यात के बारे में चर्चा लगभग नदारद है।

फिर भी वर्ष 2013-14 तक उत्पादों एवं सेवाओं का निर्यात सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 25 फीसदी था जो सरकारी व्यय की हिस्सेदारी से अधिक और निर्धारित निवेश से थोड़ा ही कम है। दुर्भाग्य से, भारत का उत्पाद निर्यात वर्ष 2011-12 से ही करीब 300 अरब डॉलर पर स्थिर रहने से कुल निर्यात का हिस्सा वर्ष 2018-19 में 20 फीसदी से नीचे आ गया और उत्पाद निर्यात की हिस्सेदारी 12.4 फीसदी पर आ गई। वैश्विक विकास अनुभव बताते हैं कि कोई भी बड़ी अर्थव्यवस्था निर्यात में सशक्त वृद्धि बनाए रखे बगैर तीव्र आर्थिक वृद्धि (सात फीसदी से अधिक) नहीं कायम रख पाई है। खुद हमारा अनुभव भी ऐसा ही है। भारत की आर्थिक वृद्धि के दो बेहतरीन दौर (1992-97 और 2003-11) में निर्यात वृद्धि का सिलसिला मजबूत रहा था। निर्यात गतिविधियों में रोजगार के अवसर अधिक होते हैं और भारत में एमएसएमई क्षेत्र का उत्पाद निर्यात में हिस्सा परंपरागत तौर पर 35-40 फीसदी रहा है। कुछ हद तक कमजोर बाह्य वित्त को मजबूती देने के लिए भी निर्यात वृद्धि जरूरी है। फिर निर्यात को नजरअंदाज करने वाली नीति को पलट क्यों देते हैं?

नीतियों में बदलाव करने के पहले हमें उस भ्रामक धारणा से भी निपटना है जिसके मुताबिक भारत की व्यापार नीतियों में खास गड़बड़ी नहीं है और हमारी निर्यात स्थिरता वर्ष 2011 के बाद वैश्विक कारोबार में आई स्थिरता के चलते है। वास्तव में, उसके बाद से वैश्विक निर्यात वृद्धि डांवाडोल रही है। लेकिन हमने तीव्र वृद्धि के दोनों ही चरणों में वैश्विक निर्यात वृद्धि को मात दी है। इसके अलावा हमसे उलट कुछ अन्य एशियाई देशों ने हाल के वर्षों में काफी अच्छा काम किया है। आंकड़े बताते हैं कि 2011 से 2018 के बीच भारत का उत्पाद निर्यात केवल आठ फीसदी ही बढ़ा है जबकि इसी अवधि में वियतनाम ने 154 फीसदी, कंबोडिया ने 114 फीसदी, म्यांमार ने 82 फीसदी, बांग्लादेश ने 61 फीसदी, फिलीपींस ने 40 फीसदी और चीन ने 31 फीसदी तक की वृद्धि दर्ज की। तीव्र निर्यात वृद्धि का मतलब बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने से है। वर्ष 2011 और 2018 के बीच विश्व निर्यात में हमारा हिस्सा 1.7 फीसदी पर स्थिर बना रहा जबकि वियतनाम का हिस्सा लगभग दोगुना, म्यांमार का 80 फीसदी, बांग्लादेश का 50 फीसदी से अधिक, फिलीपींस का 27 फीसदी और व्यापार युद्ध में उलझने के बावजूद चीन का हिस्सा 20 फीसदी से अधिक बढ़ा। विश्व निर्यात में चीन की हिस्सेदारी पिछले सात वर्षों में 2.4 फीसदी बढ़ गई जो वर्ष 2018 में भारत की कुल हिस्सेदारी से 60 फीसदी अधिक है।

लिहाजा हमें विश्व व्यापार प्रवृत्तियों को दोष नहीं देना चाहिए। सही नीतियों के साथ हम विश्व निर्यात में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा सकते हैं जिससे जीडीपी, रोजगार, एमएसएमई आउटपुट और सशक्त बाह्य वित्त में बढ़ोतरी का लाभ मिल सके। इसके उलट मौजूदा अपर्याप्त नीतियों के चलते निर्यात में स्थिरता बनी रह सकती है जिसके नकारात्मक असर समग्र आर्थिक वृद्धि, रोजगार और बाह्य वित्तीय व्यवहार्यता पर हो सकते हैं।

ऐसे में सवाल उठता है कि निर्यात के मोर्चे पर हमारे कमजोर प्रदर्शन को सुधारने के लिए कौन से नीतिगत कदम उठाने होंगे? हमें कम मजदूरी पर काम कर रहे श्रमिकों को बेहतर शिक्षा देने और कुशल बनाने, संपर्क एवं भंडारण सुविधा बढ़ाने के लिए अधिक संख्या में एवं बेहतर ढांचे के निर्माण के अलावा सस्ती ऊर्जा की उपलब्धता सुधारने, भूमि एवं श्रम कानूनों में सुधार और अपने खस्ताहाल वित्तीय प्रणाली में नई जान फूंकनी होगी। इन कदमों से कुल आर्थिक उत्पादकता बढ़ेगी जिससे एक प्रतिस्पर्द्धी एवं उत्पादक अर्थव्यवस्था बनाने में मदद मिलेगी।

संक्षिप्त एवं मध्यम अवधि के भुगतान से विदेश व्यापार नीतियों का दायरा कम होने से हमारा ध्यान उन नीतियों पर होना चाहिए जिन्होंने पिछले सात वर्षों से निर्यात को स्थिर रखने में बड़ी भूमिका निभाई है। इनमें चार नीतियां खास तौर पर अहम हैं। पहली, हमारी मुद्रा के मौजूदा अधिमूल्यन को दुरुस्त करना है क्योंकि यह निर्यात पर कर लगाने एवं आयात को सब्सिडी देने के बराबर है। आंकड़े बताते हैं कि इस दशक में रुपये की वास्तविक प्रभावी विनिमय दर खासी अधिक रही है। भारतीय रिजर्व बैंक के 36 देशों के सूचकांक से यह पता चलता है।

इस अधिमूल्यन में गिरावट आने से न केवल निर्यात को बढ़ावा मिलेगा बल्कि इससे तीन वर्षों से जारी आयात शुल्क संरक्षण को भी पलटने में मदद मिल सकती है। हमें इस बात को मानना होगा कि ऊंचे आयात शुल्क न केवल अक्षम एवं उच्च लागत वाले घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देते हैं बल्कि उत्पादन में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल के महंगा होने से निर्यात भी हतोत्साहित होता है। कोई भी देश आयात शुल्क संरक्षण की राह पर चलते हुए उच्च निर्यात वृद्धि कायम नहीं रख सकता है। अगर हम तीव्र निर्यात वृद्धि बहाल करने को लेकर गंभीर हैं तो हमें हाल के वर्षों में की गई आयात शुल्क वृद्धि को वापस लेना होगा। और मुद्रा अधिमूल्यन की पृष्ठभूमि में ऐसा करना कहीं अधिक आसान होगा।

तीसरी, हमें यह समझना चाहिए कि गत दो दशकों में विश्व व्यापार वृद्धि का एक बड़ा हिस्सा वैश्विक (एवं क्षेत्रीय) मूल्य शृंखलाओं (जीवीसी) से चालित होता रहा है। यह महज संयोग नहीं है कि तीव्र निर्यात वृद्धि के अधिकांश प्रतिमान भारत की तुलना में जीवीसी में कहीं बेहतर ढंग से अंतर्निहित हैं। इसके अलावा वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में भले ही जीवीसी की अहमियत स्वीकार की, लेकिन व्यापक एवं अप्रत्याशित आयात शुल्क की तरफ लौटना जीवीसी में सफल भागीदारी को कमतर बनाता है। जीवीसी में भागीदारी के लिए नगण्य या निम्न आयात शुल्क होना और उत्पादों की सरल एवं सीमापार आवाजाही जरूरी है। क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (आरसेप) समझौते का संस्थापक सदस्य बनने से हमारे इनकार का हमारे व्यापार एवं निर्यात संभावनाओं पर असर समय बीतने के साथ गंभीरता से महसूस किया जाएगा। अगर अब भी इस समझौते का हिस्सा बन पाना संभव है तो हमें आरसेप का हिस्सा बन जाना चाहिए। अन्यथा, समय बताएगा कि हमने व्यापार नीति में एक ऐतिहासिक भूल कर दी थी।

चौथी, जीएसटी लागू होने के बाद से ही निर्यातक इनपुट टैक्स क्रेडिट के अधूरे एवं विलंबित भुगतान की शिकायतें लगातार करते रहे हैं। हमें प्रक्रियागत सुधारों से इन समस्याओं को युद्धस्तर पर दूर करना होगा। जीएसटी प्रणाली में शून्य-दर वाले निर्यात का किताबी नियम व्यवहार में लाना होगा। निर्यात वृद्धि अधिक होने से आर्थिक सुस्ती दूर करने, नए रोजगार पैदा करने और हमारे बाह्य वित्त को मजबूत करने में मदद मिलेगी।

वित्त वर्ष 2020-21 का बजट व्यय के लिहाज से रह सकता है खास

दिल्ली डायरी

ए के भट्टाचार्य

पिछले कई वर्षों के दौरान केंद्र सरकार के सालाना बजट के महत्त्व एवं इसकी उपयोगिता में ह्रास हुआ है। एक समय था जब बजट को लेकर उद्योग जगत उत्साहित रहता था और यह जानने की उत्सुकता बनी रहती थी कि किन उत्पादों या सेवाओं पर कर बोझ कम होगा या नए कर लगाए जाएंगे। सभी यह समझने की कोशिश करते थे कि अगले वर्ष से उन्हें प्रत्यक्ष कर से जुड़े क्या लाभ मिलेंगे। अब वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की शुरुआत और व्यक्तिगत करदाताओं और कंपनियों के लिए अपेक्षाकृत कर दरें अधिक स्थिर रहने से संघीय बजट का आकर्षण कम हुआ है और इसे लेकर लोगों की उत्सुकता भी पहले जैसी नहीं रह गई है।

वित्त वर्ष 2020-21 का बजट कुछ अलग होगा। प्रत्यक्ष कर एवं जीएसटी दर स्थिर रहने के बावजूद 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए जाने वाला बजट सभी का ध्यान आकृष्ट करेगा। पिछली छह तिमाहियों से भारतीय अर्थव्यवस्था के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की विकास दर लगातार कमजोर हो रही है। सरकार ने इस स्थिति से निपटने के लिए कुछ कदम अवश्य उठाए हैं, लेकिन इनका कोई सकारात्मक असर अब तक नहीं दिखा है। वित्तीय क्षेत्र भी संकट से उबर नहीं पाया है। इससे पहले कि सरकारी बैंकों को नई पूंजी देने और कई भारतीय कंपनियों द्वारा लिए ऋण के समाधान से जुड़े उपाय किए जाते, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के संकट ने समस्या कई गुना और बढ़ा दी।

हाल में एक शहरी सहकारी बैंक के पतन ने वित्तीय क्षेत्र की हालत और बिगाड़ दी। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) इस वर्ष अब तक रीपो दर 135 आधार अंक तक कम कर चुका है। हालांकि इससे ऋण आवंटन में सुधार नहीं हुआ है और न ही विनिर्माण क्षेत्र की क्षमता की उपयोगिता ही बढ़ी है। बेरोजगारी दर 6 प्रतिशत पार कर चुकी है, जो पिछले चार दशकों का सर्वाधिक चिंताजनक आंकड़ा है। इन कारणों से आगामी बजट पर सभी का ध्यान जाना लाजिमी है। बजट को लेकर उत्सुकता बढ़ने के दो अन्य कारण भी हैं। पहला कारण तो यह है कि चालू वित्त वर्ष के लिए राजस्व संग्रह का अनुमान काफी खुशनुमा है, लेकिन इसे प्राप्त करना सहज नहीं लग रहा है। राजस्व संग्रह के वर्तमान आंकड़ों से तो यही लगता है कि राजकोषीय घाटा जीडीपी का 3.3 प्रतिशत तक रखने का लक्ष्य हासिल नहीं हो पाएगा। इस वर्ष के पहले आठ महीने में राजस्व संग्रह की अनुमानित दर महज 1.5 प्रतिशत रही है, जबकि लक्ष्य 18 प्रतिशत रखा गया है। दूरसंचार कंपनियों को अतिरिक्त दूरसंचार शुल्क देने का सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश और आरबीआई से एकबारगी लाभांश से सरकार को 1.3 लाख करोड़ रुपये राजस्व की प्राप्ति होगी। हालांकि अंतर तब भी रह जाएगा। वित्त वर्ष 2019-20 के लिए राजकोषीय घाटा 3.8 प्रतिशत स्तर तक रह सकता है।

दूसरा कारण यह है कि 2020-21 के बजट में 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें भी शामिल करनी होंगी। हालांकि इस महत्त्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर 1 फरवरी को ही मिल पाएगा कि क्या राज्यों के साथ कर राजस्व के बंटवारे के लिए विभाज्य कोष से रक्षा एवं आंतरिक सुरक्षा पर व्यय होने वाली केंद्र की रकम के समतुल्य राशि अलग की जाएगी या नहीं। जीएसटी संग्रह की सुस्त गति से परेशान राज्यों के लिए यह दोहरी मार होगी और इससे उनका राजकोषीय घाटा भी बढ़ सकता है।

जीएसटी संग्रह में कमी के मद्देनजर जीएसटी परिषद के समक्ष कर दरों में अधिक कटौती की गुंजाइश नहीं रह जाती है। इसके उलट कच्चे माल की तुलना में तैयार उत्पादों पर दरें कम करने के नकारात्मक असर को दूर करने के लिए जीएसटी दरें अधिक तर्कसंगत बनाने की जरूरत है। तैयार उत्पादों पर दरें घटाने से कर वापसी में तेजी आई है, जिसका सीधा असर कर संग्रह पर हुआ है। कॉर्पोरेट टैक्स में पहले ही कमी की जा चुकी है। आरबीआई ने 1,500 कंपनियों का सर्वेक्षण किया है, जिसके अनुसार नई क्षमता विकसित करने या पूंजी परिसंपत्तियों के सृजन के लिए इन कंपनियों द्वारा किए गए निवेश की दर में स्वागत योग्य बढ़ोतरी हुई है। आय कर दरों में कमी से लोगों के पास उपभोक्ताओं एवं निवेशकों के पास खर्च या बचत करने योग्य रकम बढ़ जाएगी। इससे देश में मांग में तेजी आने में मदद मिलनी चाहिए। वित्त मंत्रालय को प्रत्यक्ष कर समिति अपनी रिपोर्ट सौंप चुकी है, जिसमें कर रियायत तर्कसंगत बनाने एवं व्यक्तिगत आयकर में कमी करने की सिफारिश की गई है।

भारतीय अर्थव्यवस्था में कई ढांचागत क्षेत्रों पर बड़े पैमाने पर व्यय की दरकार है। पिछले कुछ वर्षों में ढांचागत क्षेत्र पर व्यय घटा है और इसकी भरपाई के लिए बजट में संसाधन जुटाने की जरूरत है। अतिरिक्त संसाधन का प्रावधान करने की राह आसान नहीं होगी और इससे राजकोषीय मजबूती का निश्चय कमजोर पड़ सकता है। अगर सरकार ढांचागत क्षेत्र के निर्माण के लिए अतिरिक्त संसाधनों का उपयोग सूझ-बूझ के साथ करती है तो राजकोषीय मजबूती से भटकाव को भी उचित ठहराया जा सकता है। वैसे भी जब आर्थिक वृद्धि दर पिछले 18 महीने में आधी रह गई है तो अर्थव्यवस्था में जान डालने के लिए राजकोषीय घाटे में इजाफा नजरअंदाज किया जा सकता है।

बजट 2020 इस बात के लिए याद रखा जाएगा कि इसमें व्यय के मोर्चे पर क्या कदम उठाए जाते हैं। पिछले सप्ताह टी वी सोमनाथन को वित्त मंत्रालय में नया व्यय सचिव नियुक्त किया गया है। सोमनाथन की नियुक्ति कोई सामान्य बात नहीं मानी जा सकती। वह 2015 से 2017 तक दो वर्षों के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय में थे। इस दौरान उन्होंने आर्थिक नीतियों के क्रियान्वयन पर नजर रखी थी। इसके बाद अगले दो वर्षों तक उन्होंने तमिलनाडु के वित्त एवं वाणिज्यिक कर विभाग का कामकाज देखा था। अब वह केंद्र की व्यय योजना के लिए क्या करते हैं इस पर सबकी नजरें होंगी।

कानाफूसी

बिगड़ती बात

जब बात देश के अन्य राज्यों में चुनाव प्रचार करने की आती है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के सबसे चहेते नेताओं में से एक नजर आते हैं। लेकिन इसके बावजूद वह प्रदेश में अपने खिलाफ पनप रहे असंतोष से निपटने में नाकाम रहे हैं। मंगलवार को जब भाजपा के विधायक पुलिस और जिला प्रशासन द्वारा प्रताड़ना के खिलाफ विधानसभा में ही धरने पर बैठ गए तो मीडिया में इसकी खबरें जमकर प्रकाशित हुईं। उधर पार्टी के एक अन्य विधायक श्याम प्रकाश ने सोशल मीडिया पर एक संदेश के जरिये यह सुझाव दिया कि विधायकों को भी कर्मचारी संगठन जैसा एक संघ गठित करना चाहिए। उन्होंने यह इल्जाम भी लगाया कि राज्य में मौजूदा सरकार के कार्यकाल में बहुत अधिक भ्रष्टाचार है और इन हालात में विधायक भी खुद को असहाय पा रहे हैं। इन तमाम बातों पर ध्यान देते हुए ही मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने 40-40 विधायकों के समूह बनाकर उनसे मुलाकात करने का निश्चय किया है ताकि इन सभी समस्याओं को एकबारगी निपटाया जा सके।

आपका पक्ष

देश से पलायन रोकने के हों उपाय

प्रतिभा संपन्न व्यक्ति ही किसी समाज या राष्ट्र की वास्तविक संपदा होती है। इन्हीं की दशा एवं दिशा पर देश का भविष्य निर्धारित होता है। अपने स्वर्णिम अतीत में देश इन्हीं की बहुलता के कारण स्वयं में समृद्ध एवं खुशहाल और ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में विश्व का अग्रणी देश था। देश-विदेश के जिज्ञासु, विद्वान एवं प्रतिभा संपन्न लोग इसी कारण यहां खिंचे चले आते थे और अपने ज्ञान को समृद्ध कर लौट जाते थे। लेकिन आज स्थिति बदल गई है। दूसरे देशों में प्रतिभा का पलायन कोई नई समस्या नहीं है और न ही किसी एक देश तक सीमित है। यह समस्या दशकों पुरानी है और विश्व के अधिकतर विकासशील देश इससे पीड़ित हैं। लेकिन इससे सबसे अधिक नुकसान भारत का हो रहा है, क्योंकि प्रतिभा संपन्न लोगों के क्षेत्र में भारत विश्व का अग्रणी देश है तथा सबसे अधिक प्रतिभाओं का पलायन यहीं से हुआ है और हो रहा है। वैसे तो पहले भी

देश की प्रतिभा का पलायन रोकने के लिए सरकार को उचित कदम उठाने चाहिए

प्रतिभा का पलायन होता रहा है लेकिन इस समस्या को उदारीकरण ने और हवा दी है। करीब 60 से 90 के दशकों में ज्यादातर 20-25 वर्ष की आयु की युवा प्रतिभाएं ही देश से पलायन करते थे। फ्रेशर होने के कारण इन्हें इस उम्र में दूसरे देश के वातावरण और कार्यशैली में ढलने में आसानी होती थी। दूसरा उस समय अधिकतर वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर आदि ही अधिकतर जाते थे। भारत से कुशल और प्रशिक्षित व्यक्ति विदेश पलायन कर जाते हैं जिससे भारत में उच्चस्तरीय प्रतिभाओं की कमी हो जाती है। भारत से बड़े पैमाने पर डॉक्टर विदेशों में पलायन कर रहे हैं जबकि भारत में डॉक्टरों की संख्या जनसंख्या अनुपात से काफी कम है। विशेषकर भारत के गांव डॉक्टरों की कमी से जूझ रहे हैं जिससे भारत की स्वास्थ्य सेवाओं में अपेक्षित सुधार नहीं हो पा रहा है। अब वक्त आ गया है कि राष्ट्र के विकास को गति देने के लिए प्रतिभाओं का पलायन रोकना अति आवश्यक है। इसके लिए उपयुक्त परिस्थितियां एवं वातावरण बनाना होगा। यह सरकार की इच्छाशक्ति एवं महत्त्व पर निर्भर करता है। सरकार को प्रतिभा पलायन जैसे मुद्दे के लिए सख्त कदम उठाने होंगे। देश की प्रतिभा अगर देश में ही रहकर देशहित में काम करे तो यही सबसे बेहतर होगा। इस प्रकार हम पूर्ण रूप से अपना सामाजिक विकास कर सकेंगे।

अनु मिश्रा, सीवान

विरोध प्रदर्शन में हिंसा अनुचित

नागरिकता संशोधन कानून का देश की कई जगहों में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान कुछ असामाजिक लोग हिंसा कर रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान लोग सड़कों पर आगजनी, सार्वजनिक बसों में आग लगाने, पथराव और तोड़फोड़ करने पर उतारू हो रहे हैं। विरोध प्रदर्शन हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है लेकिन हिंसा करना कहीं से भी उचित नहीं है। हिंसा करने से आंदोलन की दशा एवं दिशा बदल जाती है। अगर सरकार के किसी निर्णय का विरोध करना है तो उसे शांतिपूर्ण तरीके से करना चाहिए। हिंसा से लोगों में भय पैदा होता है तथा कई लोगों को बेवजह परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अत: अपनी मांगे मनवाने के लिए देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना कतई उचित नहीं है। हिंसा करने वाले लोगों की पहचान कर उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।

अभिषेक कुमार, नई दिल्ली

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in
पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।